

पं. 11/2021  
23/11/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
दानराज पुत्र सुवायक गुजर पामडी	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 172 / 2021 GCMS No. 2021/871

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

23/11/2021

वादी श्री दानराज पुत्र सुवायक  
जाति गुजर निवासी पामडी द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत पामडी में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत. 2074-77 ग्राम पामडी पटवार मण्डल मन्दाव के खाता नम्बर 11 मे वादी की राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि दानराज पुत्र सुवायक दर्ज है, जो अशुद्ध है।  
वादी का शुद्ध नाम दानराज पुत्र सुवायक है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 60 83909200 67 आधार नम्बर मतदाता पहचान पत्र W6X/287052 अन्य दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है।  
इस संबंध में हल्का पटवारी मन्दाव भू.अ.नि. मन्दाव एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है।  
अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

743-745

उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी ( नागौर )

